

मध्यप्रदेश विधान सभा

उग्रस्त-सितम्बर, 2001 सं

गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2001 [भाद्र 29, 1923]

की अनुपूरक कार्य-सूची।

कार्य सूची के पद क्रमांक 5. "शासकीय विधिविषयक कार्य" के उप पद क्रमांक ॥1॥ के पश्चात् निम्नलिखित उप पदों को और जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

॥2॥ श्री धनशयाम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री [वेतन तथा भत्ता] संशोधन विधेयक, 2001 [क्रमांक 23 सन् 2001] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

॥3॥ श्री हुक्म शिंह कराडा, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर [द्वितीय संशोधन] विधेयक, 2001 [क्रमांक 24 सन् 2001] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

कार्य सूची के वर्तमान उप पद क्रमांक ॥5॥ के पश्चात् निम्नलिखित उप पदों को और जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

॥6॥ श्री हण्डीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे तिक मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा भैशंख विधिसंशोधन विधेयक, 2001 [क्रमांक 22 सन् 2001] पर विधार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर छाड़ाः विधार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे तिक विधेयक पारित किया जाय।

॥7॥ श्री धनशयाम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे तिक मध्यप्रदेश मंत्री [वेतन तथा भत्ता] संशोधन विधेयक, 2001 [क्रमांक 23 सन् 2001] पर विधार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर छाड़ाः विधार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे तिक विधेयक पारित किया जाय।

॥8॥ श्री हुक्म शिंह कराडा, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे तिक मध्यप्रदेश उपकर [द्वितीय संशोधन] विधेयक, 2001 [क्रमांक 24 सन् 2001] पर विधार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर छाड़ाः विधार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे तिक विधेयक पारित किया जाय।

इस पद में उक्त समस्त उप पदों को जोड़े जाने के पश्चात् सभी उप पदों को पुनर्क्रमांकित कर उप पद क्रमांक ॥1॥ से ॥10॥ के त्वय में पढ़ा जाय।

डॉ० र. खेड़पाली

सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।

भोपाल :

दिनांक : 20 सितम्बर, 2001।